

अज अदालत  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

उच्चलागाम / जीवणा एड  
जस बुधरोली हुके कीदानी  
तह. मोखड़ा

बनाम

अश्रुतागाम / इत्यागाम जाट  
बुधरोली हुके कीदानी  
तह. मोखड़ा

मुकदमा संख्या 102/2023

<p>तारीख हुकम</p>		<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

23.6.23

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री पाबु राम बेनिवाल अन्तर्गत धारा 111 व 123 राजस्थान अ.डी.ए. अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उत्तरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उत्तरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उत्तरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उत्तरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 08.08.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

08.8.23

पुनः पत्रावली के तहत  
पत्रावली अर्थात् नवीन स्थान 314 42  
के तहत पुनः पत्रावली 21.10.23 को  
पत्रावली

~~श्रीमान जिला क्लर्क काउन्सिल के पत्रावली 4015 दिनांक 11.8.23  
द्वारा काउन्सिल जिले से नवीन जिला क्लर्क का पत्रावली को  
पुनः शिवाजीगढ़ के वृत्तगत सुनवाई हेतु पत्रावली 30.10.23 को  
को भूल ही स्थानान्तरित की जाती है।~~

उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

